न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 561/2020 दायरा दिनांक :–29.10.2019 निर्णय दिनांक :– 07.04.2021

1 जयसिंह पुत्र रामजीलाल (मृतक)
1/1 जसवन्त पुत्र जयसिंह
1/2 सविता पुत्री जयसिंह
2 ताराचन्द पुत्र रामजीलाल
3 दशरथ पुत्र सुरेन्द्र
4 देशराज पुत्र सुरेन्द्र
5 कृष्णा पुत्री सुरेन्द्र
6 सुभाष पुत्र रामजीलाल
7 इन्द्रजीत पुत्र कैलाश
8 सुदेश पुत्र कैलाश
9 सुमन पुत्री कैलाश
10 सुशीला पुत्री कैलाश
11 कमला पत्नी कैलाश
12 अजीत पुत्र धर्मराज
13 संदीप पुत्र धर्मराज जातियान अहीरान निवासियान दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र मामचन्द
2. राजेश पुत्र मामचन्द
3. सविता पुत्री मामचन्द (नाम हजफ)
4. सरोज पुत्री मामचन्द (नाम हजफ)
5. हरिकिशन पुत्र श्रीराम
6. फतेहचन्द पुत्र श्रीराम
7. रतीराम पुत्र श्रीराम
8. कौशल्या पुत्री श्रीराम जातियान अहीरान निवासियान दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
10. श्रीमान बैंक मैनेजर राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजरका तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:30:34 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

<u>–: पर्चा डिक्री :–</u>

वादी की ओर से **श्री जगन्नाथ यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर **श्री अनिल यादव एडवोकट की** उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक** 12.04.2021 को **श्री रामसिंह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:–**

आशुलिपिक/निजी सहायक कार्यालय मुण्डावर (अलवर) राज०

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज०

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से पूर्णरूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण के वाद आराजी खसरा न0 548/0.21 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान को डिक्री किया जाता है एवम् उक्त विवादित आराजीयात् के बाबत वादीगण सं0 1/1 व 1/2 को सम्भाग में 1/6 भाग का , वादी संख्या 2 एवं 6 को 1/6, 1/6 भाग का एवं वादी संख्या 3 लगायत 5 को सम्भाग में 1/6 भाग का तथा वादी संख्या 12 व 13 को सम्भाग में 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण की हद तक प्रतिवादीगण स्वयं एवं अन्य प्रतिवादीगण के पिता के नाम हो रहे हाल राजस्व रिकार्ड पर अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं बैंक रहन की स्थिति में प्रतिवादीगण की दीगर आराजीयात् से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

12/4/21

सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:30:34 IST
Reason: SelfAttested

धारा अन्तर्गत.................................किस्म.................................मुकदमा न0.................................दिनांक...

उनवान पत्रावली.................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/5/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० आये। वादीगण के वाद का सारतः यह कि आ०खि०नं० 548/0.21 हैक्टेयर वाके ग्राम दलेलपुर तहसील [illegible] जिला अलवर (राज०) के स्थित होकर वादीगण 1, 2, 6 तथा 3 ला० 5 एवं 7 ला० 13 के पिता ने क्रय की रजिस्टर्ड बयनामे दिनांक 20/07/82 को प्रतिवादीगण के पिता/दादा श्रीराम से खरीद की गई आराजी है जिसका इन्तकाल नं० 274 वादीगण के नाम दर्ज व मन्जूर हुआ। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त इन्तकाल का अमल जमाबन्दी में नहीं किया तथा तहसील कार्यालय में भी अमल नहीं किया गया है। विक्रेता श्रीराम व क्रेतागण कैलाश, धर्मराज व सुरेन्द्र की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है प्रस्तुत करते हुए वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाये कि विवादित आराजी के वादीगण 1, 2, 6 को 1/6, 1/6, 1/6 भाग एवं वादी नं० 3 ला० 5 को 1/6, 7 ला० 11 को 1/6 भाग का व वादी नं० 12 व 13 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजात माल में अमल दरामद कराये जाने का निवेदन रहा। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद खिलाफ तलबी प्रतिवादी नं० 10 के अनुसार इश्तहार की तामील से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी नं० 1, 2 एवं 5 ला० 8 की ओर से जरिये अभिभाषक हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाबदावा पेश किया गया। मुताबिक इकबाल वाद वादी डिक्री करार दिया जावे इन प्रतिवादीगण को कोई एतराज [illegible] प्रतिवादीगण 3, 4 की बाद विधिवत 3 [illegible] किया गया। वादीगण के अपने वाद पत्र के [illegible] साक्ष्य दस्तावेजी में नकल इन्तकाल नं० 274 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी नं० 2071-74 किता-4 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी नं० 2034 प्रदर्श-3 एवं फोटोस्टेट बयनामा प्रदर्श-4 एवं मौखिक साक्ष्य में शपथ-पत्र मुकेश PW1 पेश किया व हरिकिशन PW2, मुकेश PW3, रतिराम PW4, फतेहचन्द PW5, इन्द्रजीत PW6 पेश किये। [signature] सहायक कलक्टर [illegible] (अलवर) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by [illegible] Rajawat
Date: 2021.07.29 [illegible]
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है। **आदेश** उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण के वाद खा०न० 548/0.21 हैक्टर वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) को डिक्री किया जाता है एवम् उक्त विवादित आराजीयात को बाबत वादीगण सं० 1, व 2 को सम्भाग में $\frac{1}{6}$ भाग का, व वादी सं० 3 लगायत वादी सं० 4 एवं 6 को $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ भाग का एवं वादी सं० 7 लगायत 11 को 5 को सम्भाग में $\frac{1}{6}$ भाग का तथा वादी सं० 12 व 13 को सम्भाग में $\frac{1}{6}$ भाग का व वादीगण $\frac{1}{6}$ भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण की हद तक प्रतिवादीगण स्वयं एवं अन्य प्रतिवादीगण के पिता के नाम हो रहे हाल राजस्व रिकार्ड पर अंकन को इजाज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं बैंक रहन की स्थिति में प्रतिवादीगण की होगा आवश्यकता से बैंक रहन राशि वसूलनीय रहेगी। उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत सुनाया हो। नम्बर से कमरा बाद तकमील जमा जिला रेकार्ड कार्यालय हो। सुनाया गया 12/1/24	

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:30:34 IST
Reason: SelfAttested